रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 472] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 6, 1986/आश्विन 14, 1908
No. 472] NEW DELHI, MONDAY, OCT. 6, 1986/ASVINA 14, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 1986

अधिसूचना

संख्या 441/86—सीमाशुल्क

सा. का. नि. 1134 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1986 (1986 का 23) की धारा 49 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय,

राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 312/86—सीमा-शुल्क, तारीख 13 मई, 1986 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, —

(क) क्रम सं. 258 और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ;

(ख) क्रम सं. 274 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"274क. सं. 424/86-सीमा-शुल्क, तारीख 28 अगस्त, 1986 ।" ।

[फा. सं. 346/31/86-टी आर यू]
गौतम रे, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 6th October, 1986

NOTIFICATION

No. 441|86-CUSTOMS

G.S.R. 1134(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 49 of the Finance Act, 1986 (23 of 1986), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 312|86-Customs, dated the 13th May, 1986, namely :—

In the Schedule to the said notification,—

(a) Sl. No. 258 and the entry relating thereto shall be omitted.

(b) after Sl. No. 274 and the entry relating thereto, the following Sl. No. and entry shall be inserted, namely :—

'274A. No. 424|86-Customs, dated the 28th August, 1986.".

[F. No. 346|31|86-TRU]
GAUTAM RAY, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986